उपखण्ड अधिकारी, सीकर

ओमप्रकाश बनाम तारादेवी

76/2025

T.L

07 08/2025

हीरालाल के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा विरासत का नामा० हीरालाल के केवल एक पुत्र सागरमल को ही बताकर तथा सागरमल के पुत्र माधोप्रसाद बताकर दर्ज कर दिया गया है। जबकि स्वीकृत रूप से हीरालाल के दो पुत्र गणपतराय एवं सागरमल हुए थे इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधि. के प्रावधानों के तहत हीरालाल की विरासत का नामा० गणपतराय व सागरमल के 1/2-1/2 अनुपात में दर्ज किया जाना चाहिए था। गलत विरासत के आधार पर भरे गये नामा. के कारण प्रार्थी के पूर्वज गणपतराय का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका था। वर्तमान खातेदार सागरमल से माधोप्रसाद व माधोप्रसाद के तारादेवी के नाम दर्ज हो गई है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 1 ने विवादित भूमि का उपहार पत्र प्रतिवादी सं. 2 के नाम से उपपंजीयक कार्यालय सीकर में दिनांक 15/1/20 को करवा दिया। अब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपसी सहमति से प्रार्थी के विरुद्ध साजिश कर विवादित भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है, विवादित भूमि का छोटे-छोटे भूखण्डों में दीगर व्यक्तियों को बेचान करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि अप्रार्थीगण अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाये तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा।

बहस अधि पर मनन किया गया। ~~अवलोकन पत्रावली से स्पष्ट~~ मूल वाद का निस्तारण तथा वादी के हक व अधिकारों की घोषणात्मक वाद में साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर की जानी है। ~~मूलवाद~~ विवादित भूमि के रिकॉर्ड

प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते है। अतः प्रार्थना-
पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है। तथा अप्रार्थीगण
को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि
वे विवादित भूमि ख.न. 399 रकबा 0.31 हैक्टेयर
ख.न. 400 रकबा 5.87 हैक्ट. वाके ग्राम सीकर
तहसील व जिला सीकर की भूमि पर [illegible]
पाड़ रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें/ पत्रावली
मै [illegible] अनुसार होकर नम्बर [illegible] हो, दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी, सीकर